

दिनांक 21.06.2018

प्रार्थी के वकील अनु०। अप्रार्थी न. 3, 4 की ओर से एड. पंकज कुमार का वकालतनामा पेश हुआ। शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह मुन्तकिली प्रार्थना-पत्र एस. डी.ओ. डीग तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री खान मोहम्मद के खिलाफ पेश किया गया था। चूंकि एस.डी.ओ. डीग श्री खान मोहम्मद का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की एस.डी.ओ. डीग / ए.सी.एम. भरतपुर को राजस्व मण्डन अजमेर के निर्णय प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
भरतपुर

Web Copy - Not Official